न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 48 / 2018 (223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2018 / 00003

उनवान

विशन पुत्र करण जाति गुर्जर निवासी बहोरा का बेडा तन डांडा ग्राम डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली राजस्थान।

.....अपीलांट / वादी।

बनाम

1. गुड्डी पत्नी हंसा
2. विमला पत्नी बहादुर

} जाति गुर्जर निवासी डांडा तहसील मासलपुर जिला करौली

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मासलपुर तहसील मासलपुर जिला करौली राजस्थान।

.....रेस्पोडेन्टस् / प्रतिवादीगण।

उपस्थितः–

1. श्री विष्णुचन्द बंसल अधिवक्ता अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्टस् अनुपस्थित।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः–17.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 25 / 2017 बउनवान विशन बनाम गुड्डी वगैरह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम डांडा तहसील मासलपुर मे स्थित खसरा नंबर 1132 / 1 है। जिसमे वादी का 1 / 2 हिस्सा पूर्व दिशा की ओर एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा पश्चित की दिशा की तरफ है उसी अनुसार भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि साबिक खातेदार जलसिंह पुत्र शिवलाल से वर्ष 2011 मे खरीदी गई थी। प्रतिवादीगण विधिवत बंटवारा करने से मना कर रहे है। विवादित आराजी संयुक्त रूप से खातेदारी है। जिसमे वादी अपने हिस्से 1 / 2 के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अतः विधिवत बंटवारा करने के आदेश जारी कर डिक्री करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण ने जवाब के कथन मे कहा कि बंटवारा करने की कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बंटवारी नही है लेकिन मौके पर दो हिस्से हो रहे है एक हिस्सा उत्तर मे है दुसरा हिस्सा दक्षिण मे है। मौके पर काबिज अनुसार बंटवारा करने पर सहमति जाहिर की। मातहत अदालत ने दिनांक 03.05.2018 को निर्णय पारित करते हुए आदेश दिया कि " वादी खिलाफ प्रतिवादी बाबत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के तहत फाईनल डिक्री किया जाता है। आराजी खसरा नंबर 1132/1 रकबा 05 बीघा मे से हिस्सा 1/2 यानी 02 बीघा 10 बिस्वा वादी विशन पुत्र करन जाति गुर्जर व प्रतिवादी संख्या 02 विमला पत्नि बहादुर जाति गुर्जर निवासी डांडा को दक्षिण दिशा मे काबिज आराजी खातेदार होने पर अलग-अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने के अधिकारी रहेगें। " उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रकरण दिनांक 03.05.2018 को लोक अदालत मे कैम्प डांडा मे राजीनामा के लिए रखा गया था। प्रकरण मे पक्षकारान मे राजीनामा नही हो सका था। मातहत अदालत द्वारा प्रकरण मे गलत तौर पर अपीलांट/वादी का अंगूठा निशानी लगवाकर गलत तौर पर प्रकरण मे बिना साक्ष्य सबूत लियें व बिना जिरह का मौका दिये गलत तौर पर विधि विरूद्व रूप से प्रकरण का अंतिम निर्णय अपीलांट को बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये पारित किया है यह प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों व न्यायिक प्रकिया के विपरीत है। साबिक खातेदार जलसिंह पुत्र शिवलाल जाति गुर्जर निवासी डांडा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद कर पूर्वी हिस्सा पर अपीलांट/वादी ने कब्जा प्राप्त किया और तब से ही अपीलांट भूमि के पूर्वी हिस्से पर बतौर हक खातेदार काश्त कर काबिज चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट नंबर 01 व 02 का पश्चिमी की तरफ का हिस्सा है, अपीलांट के बयनामा मे अपीलांट के द्वारा खसरा नंबर 1132/1 का 1/2 हिस्सा पूर्वी दिशा का खरीद करना अंकित है। उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना ही मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।
5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट/वादी को मातहत अदालत ने बिना साक्ष्य सुनवाई का उचित अवसर दिए ही उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। लोक अदालत मे मात्र राजीनामा से ही प्रकरण का निस्तारण उभय पक्ष की सहमति से ही किया जा सकता है। फिर भी मातहत अदालत ने लोक अदालत प्रकिया का दुरुपयोग कर रेस्पोडेन्टस् को अनावश्यक लाभ देने की बदनियति से विधि विरूद्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जावें। आगे कथन किया कि अपीलांट/वादी साबिक खातेदार जलसिंह से खरीद करने के समय से ही पूर्वी हिस्से पर काबिज हैं, लेकिन मातहत अदालत ने यह तथ्य पता होने के पश्चात भी उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे, मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 अपास्त की जावें।

6. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

7. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2071–2074 वाके ग्राम डांडा पटवार हल्का डांडा भू–अभिलेख क्षेत्र कंचनपुर तहसील मासलपुर के अनुसार खसरा नंबर 1132/1 रकबा 05 बीघा मे जलसिंह पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/2 जाति गूजर, विशन पुत्र करन हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर निवासी बोहरे का बेडा(डांडा) खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 1136 निवासी दिनांक 20.08.2015 बेचान से जलसिंह पुत्र शिवलाल हिस्सा 1/2 जाति गूजर के स्थान पर केतागण गुड्डी पत्नि हंसा, विमला पत्नि बहादुर हिस्सा 1/2 जाति गूजर निवासी डांडा खातेदार के नाम अंकन होना स्वीकार हुआ जाना अंकित है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 द्वारा भूमि वर्ष 2015 मे क्रय की गई है, जबकि पत्रावली मे उपलब्ध वयनामा दिनांक 20.10.2011 के अनुसार अपीलांट ने खसरा नंबर 1132/1 का 1/2 पूर्वी तरफ का हिस्सा वर्ष 2011 मे ही विक्रयकर्ता से क्रय कर लिया था।

प्रथमः– अदालत मातहत के आदेशिका दिनांक 03.05.18 का अवलोकन करने से प्रकट है कि पक्षकारान के अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होने के कोई हस्ताक्षर अंकन नही है, अर्थात सहमति का कोई साक्ष्य नही है, इसलिए सहमति के आधार पर जो निर्णय विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना सहमति के ही किया गया है वह अपास्त योग्य है।

द्वितीयः– राजस्थान काश्तकारी विभाजन की धारा 53 के प्रावधान के अनुसार पहले प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है, तत्पश्चात् विभाजन प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है और पक्षकारान की आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर लिए जाकर अंतिम डिक्री पारित की जाती है। अर्थात् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 53 के वादो को निर्णित करते समय दो डिक्री पारित की जाती है:–

(1) प्राथमिक डिक्री

(2) अंतिम डिक्री

अदालत मातहत द्वारा बिना प्राथमिक डिक्री पारित किए, विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किए ही अंतिम डिक्री जारी की है जो विधि विरूद्व है, अपास्त योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर मातहत अदालत सहायक कलेक्टर करौली के मुकदमा नंबर 25/2017

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बउनवान विशन बनाम गुड्डी वगैरह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2018 को अपास्त किया जाता है। पत्रावली सहायक कलेक्टर करौली को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण मे पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए, तनकीवार विवेचन करते हुए, प्राथमिक डिक्री पारित कर, विभाजन प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करते हुए अंतिम डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को आदेशित किया जाता है कि आगामी सुनवाई के लिए दिनांक 18.08.2023 को उपस्थित होवें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner